

Government of Uttarakhand
Office of the District Magistrate : Chamoli

No. :-

Dated :- 29-05-2015

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter No-11-9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Reorganization of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 3.15 Hect of forest land proposed to be diverted I favor of PWD Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Dungri-Bijrakot-Chinka (Kothagdhar)-Nauridhar-Baunla-Durgapur motor road. Under State Sector (length 8.00 km) at Dasoli Block in District- Chamoli. Under PWD Gopeshwar (purpose for diversion of forest land) in Chamoli District falls within jurisdiction of Chamoli Tehsils.

It is further Certified that :

SN		Remark
(A)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.15 Hect of civil area proposed for diversion. A copy of records of all constructions and meetings of the forest right committee(s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to – annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(B)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. There is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
(C)	The proposed does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Signature



(Ashok Kumar)

(District Magistrate Chamoli)

जिलाधिकारी
चमोली

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli District, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of District Magistrate, Chamoli on dated 29.5.2015 at time 14:00 hrs...at Chamoli in which application claiming rights in Chamoli area measuring 3.15 Hect of civil land for the Construction of Dungri-Bijrakot-Chinka (Kothagdhara)-Nauridhar-Baunla-Durgapur motor road. Under State Sector (length 8.00 km) at Dasoli Block in District- Chamoli forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Chamoli sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place - Gopeshwar

Dated: 29.5.2015

Signature



(Ashok Kumar)
(District Magistrate Chamoli)

जिलाधिकारी
चमोली

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली में राज्य योजना अन्तर्गत डूंग्री-विजराकोट-दिनका (कोठागछा) नौरीघाट-बोला-डुगीपुर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति चमोली

उपखण्ड चमोली के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड

जनपद चमोली के विकास खण्ड

में डूंग्री-विजराकोट-दिनका (कोठागछा) नौरीघाट-बोला-डुगीपुर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.15 हे. सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जान हेतु अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपरोक्त खण्ड स्तरीय समिति तहसील चमोली की दि. 29.4.18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्डीय वनाधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में मा. सदस्यों की उपस्थिति में निम्नानुसार है:-

- | | | |
|---------------------------------|----------------------------|------------|
| 1- श्री <u>अवधेश कुमार सिंह</u> | उपजिलाधिकारी (सदर) | अध्यक्ष |
| 2- श्री <u>एन. एन. सिंह</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 3- श्री <u>आर. रतन खन्नेडा</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी, | सदस्य/सचिव |
| 4- श्री <u>जसपाल लाल</u> | बी.डी.सी. क्षेत्र | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली

ग्राम जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के अन्तर्गत डूंग्री-विजराकोट-दिनका (कोठागछा) नौरीघाट-बोला-डुगीपुर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.15 हे. वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु मा. सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मिति से पाति प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं तत् सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से मा. सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।

AKCSD
उपजिलाधिकारी
अध्यक्ष

मन
उप प्रभागीय वनाधिकारी
सदस्य

मन
सहायक समाज कल्याण अधिकारी
सदस्य/सचिव

बी.डी.सी. क्षेत्र
सदस्य

जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बर्दीनाथ में
परियोजना का नाम :- दुर्गा-बिजराकोट-दिनका (कोडागधार) नौरीधार-बौला
दुर्गापुर पुल तक मोटर मार्ग निर्माण
वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति
प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के अन्तर्गत अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत जनपद
चमोली के विकास खण्ड दुर्गोली में अन्तर्गत दुर्गा-बिजराकोट
दुर्गापुर पुल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु हे० वन भूमि हस्तान्तरण हेतु .

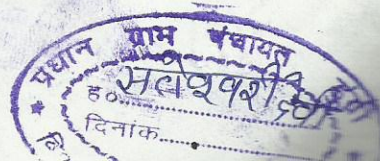
3.15 हे० सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसमें
उनके द्वारा वनाधिकार 2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक
में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु
विस्तृत चर्चा की गयी यह की वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत
प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है। एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक
कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। नहीं किसी आदिवासी अथवा किसी गैर
आदिवासी समुदाय का कब्जा/कृषि कार्य है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट
किया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि
कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन
भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभाओं द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है
कि उक्त वन भूमि 3.15 हे० सिविल भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए परियोजना
निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम सभाओं की बैठक की
उपस्थिति संलग्न है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हस्ताक्षर प्रधान



जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बर्दीनाथ में
परियोजना का नाम :- डुंग्री-बिसराकोट-दिनका (कोडागधार) नौरीधार-बौला
डुंग्रीपुर पुल तक मोटर मार्ग निर्माण
वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति
प्रमाण पत्र

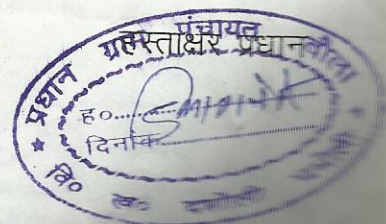
जनपद चमोली के अन्तर्गत अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत जनपद
चमोली के विकास खण्ड दशोली में अन्तर्गत डुंग्री-बिसराकोट
डुंग्रीपुर पुल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु हे० वन भूमि हस्तान्तरण हेतु .

3.15 हे० सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसमें
उनके द्वारा वनाधिकार 2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक
में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु
विस्तृत चर्चा की गयी यह की वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत
प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है। एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक
कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। नहीं किसी आदिवासी अथवा किसी गैर
आदिवासी समुदाय का कब्जा/कृषि कार्य है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट
किया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि
कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन
भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभाओं द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है
कि उक्त वन भूमि 3.15 हे० सिविल भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए परियोजना
निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम सभाओं की बैठक की
उपस्थिति संलग्न है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



प्रपत्र -23.1

दि. 21/4/2015 को ग्राम सभा हुंशी - विजराकोट की बैठक सम्पन्न हुई
बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए

क्रं.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	सतेश सिंह नेगी हुंशी विजराकोट	
2	रामेश सिंह नेगी हुंशी	
3	चन्द सिंह विजराकोट	
4	शान्त सिंह विजराकोट	
5	पुष्प नेगी हुंशी	
6	पुष्प देवी विजराकोट	
7	हमलदा हुंशी	
8	दीप देवी हुंशी	
9	नरेश लाल हुंशी	
10	मनोज सिंह हुंशी	
11	पुष्प सिंह विजराकोट	
12	सजय सिंह नेगी विजराकोट	
13	देवी लाल	
14	रघुवीर सिंह नेगी विजराकोट	
15	मनप सिंह नेगी विजराकोट	
16	वचन सिंह नेगी	
17	अमल सिंह नेगी	
18	जसपत सिंह नेगी	
19	दीपक सिंह नेगी	
20	पद्मा देवी	
21	किशन सिंह	
	राजेश देवी	



दि. 31/5/2015 को ग्राम सभा नरेश (दिन्नर) की बैठक सम्पन्न हुई
बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए

[illegible]

प्रपत्र -23.1

दि. 14/11/2015 को ग्राम सभा की बैठक सम्पन्न हुई
बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए

क्रं.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री. सुरेंद्र सिंह - श्री. लाल मुखी सिंह	सुरेंद्र
2	श्री. सतीश सिंह - ॥ कुन्दन सिंह	सतीश
3	श्री. रघुनाथ सिंह - ॥ रामकमल सिंह	रघुनाथ
4	॥ मोहन सिंह ॥ गोपाल सिंह	मोहन
5	॥ जसपाल सिंह ॥ वचन सिंह	जसपाल
6	॥ कुशल सिंह ॥ धाम सिंह	कुशल
7	॥ लक्ष्मण सिंह ॥ हमाद सिंह	लक्ष्मण
8	॥ राजेंद्र सिंह ॥ बलवंत सिंह	राजेंद्र
9	॥ गुलाब सिंह ॥ देलाब सिंह	गुलाब
10	॥ विनोद सिंह ॥ अवतार सिंह	विनोद
11	॥ केशव सिंह ॥ नृपाल सिंह	केशव
12	॥ रविन्द्र सिंह ॥ दरभान सिंह	रविन्द्र
13	॥ रणजीत सिंह ॥ राम सिंह	रणजीत
14	॥ इलाम सिंह ॥ मोहन सिंह	इलाम
15	शंजोद सिंह ॥ मोहन सिंह	शंजोद
16	गंगासाह ॥ वरवतावर सिंह	गंगासाह
17	नरेन्द्र सिंह ॥ गोपाल सिंह	नरेन्द्र
18	जापाल सिंह ॥ रामप्रताप सिंह	जापाल
19	शिक्षा लाल ॥ कमल लाल	शिक्षा
20	रौशन सिंह ॥ चन्द्रा सिंह	रौशन
21	नीरज सिंह ॥ सुरेंद्र सिंह	नीरज
22	पदमेश सिंह ॥ स्व. अमल सिंह	पदमेश